प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 दिसम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती अतरकली उर्फ चम्पा पत्नी नन्दराम उर्फ छोटे, निवासी जनपद-मुरादाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-10870/प्रोबे0-5-दया0/बैठक दिनांक-24.02.2025, दिनांक 05.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती अतरकली उर्फ चम्पा पत्नी नन्दराम उर्फ छोटे, जो नगला नस्सू, थाना-बिलारी, जनपद-मुरादाबाद की निवासी है। दिनांक 12-02-2017 को महिला बन्दी ने जहरीली मिठाई खिला दी जिससे इलाज के दौरान 02 बच्चों की मृत्यु हो गयी । हत्या का कारण बच्चों की किसी बीमारी से ग्रसित होने के कारण चामुण्डा देवी का प्रसाद बताकर खिला दिया। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-596/2017, भा0द0वि0 की धारा-302, 328 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0.01 मुरादाबाद के दण्डादेश दिनांक 13-08-2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में महिला बन्दी की अपील लम्बित है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 17-01-2025 अपरिहार 07 वर्ष 09 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 03 माह 19 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- भारत के सविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दियों अथवा उनके परिजन द्वारा प्रस्तुत दयायाचिकाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए निर्गत शासनादेश संख्या-660/22-2-2005-17(346)/92, दिनांक 13.04.2005 में प्राविधानित विन्दुओं पर सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति प्राप्त किया गया। पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि महिला बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को प्रभावित करने की श्रेणी में होने, भविष्य में पुन: अपराध कारित करने से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट मुरादाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद की आख्या से सहमत होते हुए सिद्धदोष बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती अतरकली उर्फ चम्पा पत्नी नन्दराम उर्फ छोटे की दयायाधिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर समिति द्वारा पुनर्विचार किया गया। समिति द्वारा जेल रिपोर्ट के अनुसार महिला बन्दी को मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनाक 17.01.2025 तक अपरिहार 07 वर्ष, 09 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 09 वर्ष, 03 माह, 19 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी श्रीमती अतरकली उर्फ चम्पा (बन्दी संख्या-369/2022) पत्नी नन्दराम उर्फ छोटे, निवासी जनपद-मुरादाबाद की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1481/2025/771(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।